30/08

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/4/18	वकुलाय उपस्थित। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 फौत हो चुके है, जिसकी सूचना दिनांक 29.07.2013 को रेकर्ड पर आ चुकी है। इसके बावजूद भी अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के का0मु0 को रेकर्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। अतः अपील खारिज करावें। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 22 नियम 4 तहत विधि द्वारा परिसीमित समय के भीतर आवेदन प्रस्तुत किया जाना आज्ञापक है। इस सम्बन्ध परिसीमित समय की संगणना परिसीमा अधिनियम के खण्ड द्वितीय के भाग 1 के नियम 120 के तहत किया जाना आज्ञापक है, जिसमें यह प्रावधित किया गया है कि किसी मृत वादी या अपीलार्थी के या मृत प्रतिवादी या प्रत्यर्थी के विधिक प्रतिनिधी को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन पक्षकार बनवाने के लिये परिसीमित समय 90 दिवस नियत किया है, जिसकी संगणना यथास्थिति वादी, अपीलार्थी, प्रतिवादी या प्रत्यर्थी की मृत्यु की दिनांक से की जानी है। हस्तगत प्रकरण में आदेशिका दिनांक 29.07.2013 को वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के फौत होने के सम्बन्ध में सूचना जाहिर की थी। विधि अनुसार अपीलाण्ट द्वारा विधि में परिसीमित समय के भीतर न तो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा न ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के का0मु0 को रेकर्ड पर लेने बाबत कोई कार्यवाही की। इस स्थिति में अपील उपशमन होने से खारिज की जाती है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। पत्रावली बाद पालना फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। राजस्व अपील प्राधिकारी पाली राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली	